

29/5/23 आज यह पत्रावली पेश हुई। वक्तुगाय
फारीमन अनुपलब्ध। न्यायालय द्वारा बार-बार
आवाज लगावाई गयी। कोई भी हाजिर अवालाह नहीं
हुआ। अतः दावा अदम हाजरी - अदम पैरवी में
खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम
हो बाद शर्त पारिवरु दफतर हो। अनुनाया गया।


सहायक कलेक्टर
बहरोड़ (अलावर) राज.